न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2022

जीसीएमएस संख्या–2022/17

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. ओमाराम पुत्र रामनिवास 2. मोहनराम पुत्र कानाराम 3. केसाराम पुत्र गंगाराम 4. किशोरराम पुत्र गंगाराम 5. खेराजराम पुत्र नारायणराम 6. जयसिंह पुत्र नारायणराम फौत के कायम मुकाम 6/1. महेन्द्र 6/2. कपिल 7. भतूडी पत्नि मोहनराम 8. मोहनी पत्नि कानाराम 9. रम्भादेवी पत्नि गंगाराम 10. रामीदेवी उर्फ रामेश्वरी पत्नि रामनिवास 11. लक्ष्मी पुत्री रामनिवास 12. विमला पुत्री रामनिवास 13. सांवरराम पुत्र कानाराम सभी जातियान जाट सभी निवासीयान खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		1. सुगना पत्नि फताराम जाति जाट 2. चिमनाराम पुत्र देवाराम जाति जाट 3. झुमरलाल पुत्र घमण्डाराम जाति मेघवाल निवासीयान खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर 4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक :–20.01.2022

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीगण की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 04

निर्णय

दिनांकः– 27/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा खुद जमीन ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा मे खेत खसरा नम्बर 2860 रकबा 4.1178 हेक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मध्य नजरी नक्शा के संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन के उत्तरी तरफ ख.न. 2866 गे.मु.बाला आया हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन के पुरब तरफ अप्रार्थी संख्या एक व दो को खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 2861 व 2858 आयी हुई है । अप्रार्थी संख्या एक व दो प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन की पुरब तरफ माठ खुर्द बुर्द कर रहे है तथा पुरब तरफ की माठ को प्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया इसी प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 2859 व 2854 अप्रार्थी संख्या दो की खातेदारी जमीन है तथा खसरा नम्बर 2853 अप्रार्थी संख्या तीन की खातेदारी जमीन है। अप्रार्थी संख्या दो, तीन ने प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन की दक्षिणी माठ खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन मे मिला लिया है जिसे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से तीन के मध्य बार बार कहासुनी होती रहती है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अपनी अपनी जमीन का कई बार नाप चोक करवाने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थीगण नाप चोक नही करवा रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा जमीन ख. नं. 2860 में दखलबाजी पैदा कर रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जमीन की सुरक्षा हेतु अपनी खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 2860 का नाप चोक कर सीमांकन करवाना चाहते है तथा वादग्रस्त आराजी का सीमांकन करवाकर चारो तरफ मुटाम कायम करवाना चाहते है जिससे

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 2860 की सीमा कायम हो सके तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार के झगडा फिसाद नही हो। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 2860 मवेशियान के चरने हेतु बीड़ा रखा हुआ है। प्रार्थीगण अपनी जमीन की तरफ से माटे खुर्द बुर्द करते रहे है तथा अप्रार्थीगण ने मध्य सीमा माठ को खुर्द बुर्द कर रखा है तथ माठ पर खड़े वृक्षों को काट लिए जिसको लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य बोलचाल भी हुई लेकिन अप्रार्थीगण मान नहीं रहे है तथा हर वर्ष काश्त के समय प्रार्थीगण की पुरब, दक्षिणी माठ सीमा खुर्द बुर्द कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 2860 रकबा 4.1178 हेक्टयर भूमि का नाप चोक कर सीमांकन करवाना चाहते है तथा चारो तरफ मुटाम कायम करवाना चाहते है जिसके लिए प्रार्थीगण पत्थर के मुटाम उपलब्ध करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण की खातेदारी ज़मीन खसरा नम्बर 2860 मवेशियान चराने हेतु गत वर्ष बीड़ा रखा लेकिन अप्रार्थी संख्या दो, तीन ने दक्षिणी तरफ पटिटया के टूकड़े रोपकर तारबन्दी करने लगे इस पर प्रार्थीगण ने अपनी अपनी जमीन नाप चोक करने के पश्चात अपने हद में तारबन्दी करने हेतु कहा लेकिन मौका पाकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 2860 की दक्षिणी सीमा के अन्दर तारबन्दी कर दी तथा पुरब तरफ प्रार्थीगण की जमीन के अन्दर दिवार निकालने लग गये जिसको लेकर प्रार्थीगण ने आपत्ति की तथा नाप चोक करवाकर अपनी हद में दिवार निकालने हेतु कहा लेकिन दिनांक 20/12/2021 को अप्रार्थीगण ने नाप चोक करवाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2860 का नाप चौक करवाकर सीमांकन करवाकर चारो तरफ पत्थरगडडी करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा में पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पेश कर न्यायालय हाजा से ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासूद जमीन खसरा नम्बर 2860 रकबा 4.1178 हेक्टयर भुमि का नाप चोक कर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगडडी करवायी जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से स्वंय/प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश नही किये जाने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार पीपाड़ शहर न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 2860 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान पक्षकारान् की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम खांगटा के खसरा नम्बर 2860 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम खांगटा के खसरा नम्बर 2860 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2026 को सुनाया गया।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर